संख्या-17/2016/55/22-4-16-119(ब)2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 22 फरवरी, 2016

विषय- जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल के अनुसार गठित आगणन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-809/नम-2 टी0सी0, दिनांक- 08 जनवरी, 2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-92/2015/403/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक-29.03.2015 तथा शासनादेश संख्या-112/2015/543/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक-12.05.2015 के द्वारा 26 कारागारों एवं 24 जनपद न्यायालयों कुल 50 यूनिट में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु रू0 43.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 21.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल के अनुसार गठित आगणन रू0 34.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 21.75 लाख के समायोजन के पश्चात अब रू0 12.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवशेष रहेगी।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों दिनांक 29.03.2015 एवं 12.05.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16- प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-17/2016/55(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in